

प्रेषक,

सीताराम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय (महिला संरक्षण)
पीलीभीत।

सेवा में,

महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत।

विषय—

वार्षिक स्थानांतरण जनपद मेरठ के आस पास किसी जनपद में किए जाने के संबंध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के सी.एल.नं. 23/एडमिन (सर्विसेज)/2019 दिनांक 23.09.19 के अनुपालन में सविनय निवेदन है कि जनपद पीलीभीत में मेरा तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मेरे द्वारा स्थानांतरण के संबंध में आवेदन किया जा रहा है। मेरी पत्नी श्रीमती अलका भारती भी जनपद पीलीभीत में ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/परिवार न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) के पद पर कार्यरत हैं। मेरी पत्नी अलका भारती द्वारा भी वार्षिक स्थानांतरण हेतु उन्ही विकल्पो (जिलो) को भरा गया है जो मेरे द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरे गये हैं।

माननीय महोदय, मैं जनपद मेरठ का निवासी हूँ। मेरे माता-पिता वृद्धावस्था में हैं जिनकी आयु लगभग 83 - 87 वर्ष है जो कि बीमार रहते हैं और जिनका निरन्तर इलाज जनपद मेरठ में ही चल रहा है। मेरी माता जी की गर्दन में हड्डी में रिक्त स्थान (गैप) है तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी पीड़ित हैं तथा मेरी माता जी यात्रा भी नहीं कर सकती है। माता-पिता के अत्यंत वृद्ध होने एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बढ़ने के कारण उनको नियमित देखभाल व चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता है। मेरे परिवार में मेरे एवं मेरी पत्नी के अलावा मेरी माता-पिता की नियमित देखभाल व समुचित इलाज कराने वाला अन्य कोई नहीं है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरा स्थानांतरण मेरी पत्नी अलका भारती के साथ मेरठ जनपद के आस पास आवेदनपत्र में दिए गए विकल्पो (जिलो) में से किसी जनपद में करने की कृपा करें।

ससम्मान।

दिनांक : 18.11.2019

संलग्नक—

1. स्पाईन एक्सरे रिपोर्टस
2. माता जी का यात्रा करने की स्थिति में न होने संबंधी प्रमाणपत्र
3. चिकित्सीय परामर्श के पर्चे

भवदीय

(सीताराम)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय (महिला संरक्षण)
पीलीभीत।